

विश्वभारती
राजभाषा प्रकोष्ठ

राजभाषा कार्यान्वयन पर विशेष चर्चा हेतु बैठक

विषय : दिनांक 23/06/2023 को सम्पन्न राजभाषा कार्यान्वयन पर विशेष चर्चा हेतु बैठक का कार्यवृत्त।

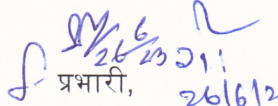
राजभाषा कार्यान्वयन पर विशेष चर्चा हेतु बैठक दिनांक 23/06/2023 को अपराह्न 03:00 बजे केंद्रीय पुस्तकालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। डॉ. निमाई चंद साहा, पुस्तकालयाध्यक्ष, विश्वभारती ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है।

बैठक के आरंभ में राजभाषा प्रकोष्ठ के प्रभारी ने उपस्थित विभागों/कार्यालयों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों का स्वागत किया। श्री गोपाल कुमार, हिंदी अधिकारी ने विश्वभारती के उपस्थित कार्मिकों को राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कार्यालयीन कार्य पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि हम सब का सांविधिक दायित्व है कि अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें।

बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई/निर्णय लिए गए :

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जाए।
2. हिंदी में कार्य – हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक हिंदी में कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके लिए नियम 8 (4) के तहत पूर्व में व्यक्तिशः आदेश भी जारी किए गए हैं।
3. फाइलों, रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ हिंदी में करें।
4. राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कार्यशाला व प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाए।
5. रबर की मोहरे द्विभाषी तथा साइन बोर्ड त्रिभाषी हो।
6. हिंदी में हस्ताक्षर करें।
7. प्रशासनिक शब्दावली सभी कार्यालयों में उपलब्ध करवाया जाए।
8. टिप्पणी व मसौदा हिंदी में तैयार करने का प्रयास करें।
9. 10 हजार शब्द हिंदी में लिखनेवाले कार्मिकों को हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोत्साहन स्वरूप विशेष नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।
10. प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यालयीन कार्य को लेकर लक्ष्य निर्धारित किए जाए।

बैठक का समापन श्री गोपाल कुमार, हिंदी अधिकारी, विश्वभारती के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।


प्रभारी,
राजभाषा प्रकोष्ठ
26/6/23